

दिनांक: 02 सितम्बर, 2022

परिपत्र Circular संख्या: मानव संसाधन 51/2022

विषय: निगम के सीधे भुगतान स्कीम के तहत मै. नारायणा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जयपुर के इम्पैनलमेन्ट के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगम के सभी कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए निम्नलिखित अस्पताल को इंडोर चिकित्सा उपचार के लिए इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से सीधे भुगतान हेतु स्कीम के अन्तर्गत इम्पैनल कर दिया गया है।

The Competent Authority has approved empanelment of the following Hospital for obtaining Indoor medical treatment by the all employees/ex-employees and their dependent family members, with the Corporation under "Direct Payment" Scheme w.e.f. date of issue of this circular:-

क्र.सं. S.No.	अस्पताल का नाम एवं पता Name and address of the hospital	किस बीमारी के लिए है Type of treatment	टिप्पणी Remarks(Tariff)
1	2	3	4
1.	मै. नारायणा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, जयपुर M/s Narayana Multispecialty Hospital, Sec 28, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur-302033 Near Jawahar Circle, Jaipur.	सामान्य बिमारियां General Disease	As per schedule of charges, restricted to Sir Ganga Ram Hospital schedule of charges, whichever is less, subject to entitlement of employees" <b>Discount offered: OPD/IPD Discount:</b> 8% discount on OPD/IPD Consultation, Diagnostic, Investigation, Radiology, Emergency Services, OPD/IPD procedure, and all Surgical Packages as well as on Medicines & Consumables. <b>Exclusion</b> - Device, Implants, Blood Proceeding Charges, DPCO and NPPA Medicine, Onco Medicine and Outsource Investigation. <b>Period of agreement &amp; review</b> – The offer shall remain valid unless terminated by either side with prior notice of the month in writing and any review with mutual consent.

सभी कर्मचारी/पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्य जो आरईसी चिकित्सा उपस्थिति नियमों के अन्तर्गत आते हैं। उपर्युक्त अस्पताल में भर्ती होकर इंडोर उपचार करा सकते हैं जिसके बिलों का भुगतान निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के द्वारा सीधे अस्पताल को किया जायेगा। इस कार्यालय के कार्यालय आदेश भाग-3 संख्या 64 दिनांक 08.10.2012 की शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।

